## न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 488/2015

<u>संस्थित दिनाँक-21.07.2015</u>

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा जिला–भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

सोनू पुत्र प्रकाश जाटव, उम्र—23 साल निवासी— ग्राम फतेहपुर, थाना गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड (म0प्र0) ......**अभियुक्त** 

\_\_: निर्णय ::-(आज दिनांक 12.01.17 को घोषित)

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 456 व 324 के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.05.2015 को रात्रि 11:00 बजे प्रतिपाल सिंह सिख के घर ग्राम फतेहपुर में अभियुक्त ने अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए उसके घर में प्रवेश कर रात्री गृहभेदन कारित किया तथा फरियादी को दांत से काटकर स्वेच्छ्या उपहित कारित की।

- 2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी प्रतिपाल सिंह ग्राम फतेहपुर का रहने वाला है। दिनांक 20.05.2015 को वह अपने घर में सो रहा था। करीबन रात 11:00 बजे घर के कमरे में आहट हुई तो वह जाग गया, पत्नी राजेन्द्र कौर व लड़की परमीत कौर भी जाग गये। कमरे के अंदर से अभियुक्त सोनू जाटव निकला, जो चोरी करने के आशय से घुसा था, जब फरियादी ने पकड़ने की कोशिश की तो दाए हाथ के बाजू पर काटकर भाग गया था फिर फरियादी ने अपने भाई पलवेन्दर को फोन करके बुलाया और रिपोर्ट की। उक्त आशय की रिपोर्ट से अपराध कामांक 104/15 पंजीबद्ध किया गया, दौराने अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने उसके निर्दोष होने तथा झूंठा फंसाए जाने का कथन किया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
  - 1. उक्त दिनांक समय व स्थान पर अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए फरियादी प्रतिपाल सिंह के घर में प्रवेश कर रात्रो गृहभेदन का अपराध कारित किया?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने फरियादी को दांतों से काटकर स्वेच्छ्या उपहति कारित की।

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से फरियादी प्रतिपाल सिंह अ०सा० 1, डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 2, श्रीमती राजेन्द्र कौर अ०सा० 3, परमीत कौर अ०सा० 4, नायक सिंह अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया। अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं ली। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न हुई परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

## <u>—:: विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 का निष्कर्ष ::—</u>

- 6. प्रकरण में फरियादी प्रतिपाल सिंह अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना उनके साक्ष्य दिनांक 20.09.2016 के करीब एक—सवा साल पहले की होकर रात्रि 11—12 बजे की है। वह अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे आहट हुई तो वह व उसकी राजेन्द्र कौर व पुत्री परमीत कौर जाग गए। तभी एक लड़का, जो उनके घर में घुसा था, जिसे पकड़ने की कोशिश की तो फरियादी के हाथ में काटकर भाग गया, जिसकी उसने थाना गोहद चौराहे में रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट प्र0पी० 1 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं तथा नक्शामौका प्र0पी० 2 पर भी ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।
- 7. इस प्रकार से फरियादी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा घटना कारित किए जाने का कोई भी कथन नहीं करते हैं। घटना के साक्षी श्रीमती राजेन्द्र कौर अ०सा० 3 एवं परमीत कौर अ०सा० 4 को भी अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया। उक्त दोनों साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में किसी व्यक्ति का उनके कमरे में घुसा होना और उन्हें देख कर भाग जाने का कथन करते हैं। परमीत अ०सा० 4 यह भी कथन करती हैं कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और लाईट नहीं थी और पिता ने पकड़ने की कोशिश की तो उनके हाथ में कुछ लग गया था। प्रकरण में तीनों साक्षियों द्वारा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता का कोई भी समर्थन नहीं किया गया है। साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। ऐसे में अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।
- 8. प्रकरण में फरियादी प्रतिपाल सिंह अ०सा० 1 सूचन प्रश्नों में इन्कार करते हैं कि उनके गांव का सोनू खाट (चारपाई) के नीचे छिपा था, इस तथ्य से भी इन्कार करते हैं कि चोरी की नियत से घर में घुसा था व पकड़ने की कोशिश करने पर दाएं हाथ के बाजू में काट लिया था। साक्षी द्वारा प्र0पी० 1 में विनिर्दिष्ट बी से बी भाग तथा कथन प्र0पी० 3 में ए से ए भाग पर तथ्य लिखाए जाने से इन्कार किया गया है। साक्षी श्रीमती राजेन्द्र कौर अ०सा० 3 व परमीत कौर अ०सा० 4 द्वारा भी सूचक प्रश्नों में अभियोजन के उक्त सुझाव से इन्कार किया है । इस प्रकार से अभियोजन साक्ष्य

में उन्हें उपबंधित कथनों अंतर्गत धारा 161 द0प्र0सं० के विनिर्दिष्ट भागों की ओर साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 की ओर ध्यान दिलाए जाने पर वैसे कथन दिए जाने से इन्कार किया गया है।

- 9. यह सुस्थापित विधि है कि प्राथमिकी एवं प्रवप्रवसंठ की धारा 161 के कथन सारवार साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। अनुसंधानकर्ता नायक सिंह अवसाठ 5 द्वारा प्रकरण में साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए जाने का कथन किया है, किन्तु स्वयं को सािक्षयों द्वारा अपने न्यायालयीन शपथ पूर्वक अभिसाक्ष्य में उनके पुलिस कथन कमशः 3, 5 व 6 के विनिर्दिष्ट कथनों को लिखाए जाने से इन्कार किया है। ऐसी दशा में उक्त कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। साथ ही अभियुक्त को घटना दिनांक व घटना स्थल से गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। अनुसंधानकर्ता नायक सिंह अवसाठ 5 अभिसाक्ष्य में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने किसी स्वतंत्र व्यक्ति या पड़ोसी के कथन प्रकरण में नहीं लिए हैं। ऐसी दशा में अभियोजन का अभियुक्त के विरुद्ध मामला दुर्बल हो जाता है, जहां तक प्राथमिकी का प्रश्न है तो प्राथमिकी सारवान विधि नहीं है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत रिव कुमार विव स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त— ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज—1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नही आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्ट अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।
- 10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 20.05.2015 को रात्रि 11:00 बजे प्रतिपाल सिंह सिख के घर ग्राम फतेहपुर में अभियुक्त ने अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए उसके घर में प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन कारित किया तथा फरियादी को दांत से काटकर स्वेच्छ्या उपहित कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 456, 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 11. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।
- 12. अभियुक्त की निरोध अवधि के संबंध में प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश